LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENT

The 9th June, 1983

No. 11(37)-89-4Lab—Whereas the Governor of Haryana is satisfied that public interest r that the Durgs and Pharmaceuticals Industry should be declared to be a public utility servi the purposes of the Industrial Disputes Act, 1947.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-clause (vi) of clause (N) of sec 2 of the Industrial Disputes Act, 1947, the Governor of Haryana hereby declares the Durgs Pharmaceuticals Industry in the State of Haryana to be a public utility service for the purposes the said Act for a period of six months from the date of publication of the Notification in Official Gazette.

K. G. VARMA,
Commissioner and Secretary to Government Haryana,
Labour and Employment Department.

श्रम विभाग

दिनांक 28 जून, 1983

संख्या 12(192)-78-4 श्रम.—कर्मकर प्रतिकार अधिनियम, 1923 की धारा 20 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, श्रम विभाग, अधिसूचना संख्या 12(192)78-4 श्रम, दिनांक 9 जून, 1978 का आंशिक उपान्तरण करते हुए हरियाणा के राज्यपाल उसके द्वारा हरियाणा राज्य में संयुक्त श्रम आयुक्त तथा सभी उप श्रम आयुक्तों को उक्त अधिनियम क अधीन ऐसे मामलों क सम्बन्ध में हरियाणा राज्य में कर्मकारों के प्रतिकर के लिए आयुक्त नियुक्त करते हैं, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (5) के अधीन उन्हें राज्य सरकार द्वारा समय/ समय पर अन्तरित किए जाएं ।

के० जी० वर्मा,
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग ।

राजस्व विभाग

युद्ध जागीर

दिनांक 27 जून, 1983

क्रमांक 667-ज(I)-83/21044.—श्री सरूप सिंह, पुत्र श्री अमर सिंह, निवासी अम्बाला तहसील व जिला अं की दिनांक 28 नवम्बर, 1981 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधि 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री सरूप सिंह को मुब्लिग 300 वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब/हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 16375-जे-एन.III-66/19719, दिनांक सितम्बर 1966 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/29505, दिनांक 8 दिसम्बर, 1970, 1789-जे-I-79/4404 दिनांक 30 अक्तूबर, 1979 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमती वीरां वाली के नाम खरीफ, 19 300 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत प्रदान करते हैं ।

टी० आर० तुली,
अवर सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

LATE NOTIFICATIONS